न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर
बइजलास कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर

मुकदमा संख्या 62/18 विविध

बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा–स्टेशन रोड़, बीकानेर, रेल्वे स्टेशन के सामने, जिला बीकानेर

–प्रार्थी

: ब ना म :

श्रीमती भगवती देवी जांगिड पत्नि श्री द्वारका प्रसाद जांगिड एवं श्री द्वारका प्रसाद जांगिड़ निवासी सुथारों की बड़ी गुवाड़, उस्ता बारी जिला बीकानेर .

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेटस एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटि इन्टरस्ट एक्ट,2002

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी बैंक के प्रतिनिधि श्री सुरेश शर्मा उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री घनश्यामदास उपस्थित।

: आ दे श :

दिनांक 04.02.2019

प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं उनके अधिवक्ता के कथनानुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी **बैंक** द्वारा **अप्रार्थी/ऋणी** को आवासीय ऋण सुविधा के तौर पर **दिनांक 18.11.15 को रूपये 25,00,000/– की राशि** उपलब्ध करवाई थी एवं उक्त ऋण की एवज में **अप्रार्थी/ऋणी द्वारा श्रीमति भगवती देवी पत्नि श्री द्वारका प्रसाद जांगिड के नाम की** सम्पति भूखण्ड संख्या ।।।–सी–56 **मुरलीधर व्यास नगर विस्तार, बीकानेर स्थिति जिसका क्षेत्रफल 1920 वर्गफिट** को प्रार्थी **बैंक** के हक में उक्त ऋण के पेटे साम्यिक बंधक रखा गया था। **अप्रार्थी** द्वारा **प्रार्थी/ बैंक** के साथ हुए अनुबंध के नियमानुसार ऋण राशि नहीं चुकाये जाने पर **अप्रार्थी/ऋणी** के खाते को दिनांक **29.12.17** को **एन.पी.ए.** धोषित कर दिया गया व **अप्रार्थी/ऋणी** के खाते में **रूपये 19,71,794.25 दिनांक 31.12.2017 तक** ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे **बैंक** के विरूद्ध बकाया निकलते है। **अप्रार्थी/ऋणी** के ऋण खाते को **एन.पी.ए.** धोषित हो जाने पर अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रार्थी **बैंक** द्वारा **अप्रार्थी/ऋणी/जमानती** को दिनांक **01.01.2018** को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये। परन्तु इसके पश्चात् माननीय न्यायालय में दायर इस प्रार्थना–पत्र की दिनांक तक अप्रार्थी/ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवाई व ना ही बंधक शुदा सम्पति का सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी **बैंक** को दिया गया। प्रार्थी **बैंक** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया गया है कि **अप्रार्थी/ऋणी/जमानती** द्वारा प्रार्थी **बैंक** के हक में बंधक रखी गई सम्पति का कब्जा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थी **बैंक** को दिलाया जावे। प्रार्थी **बैंक** द्वारा इस प्रार्थना–पत्र के समर्थन में अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया है।

जिला कलक्टर, बीकानेर

Scanned by CamScanner

2. प्रार्थी **बैंक** के इस प्रार्थना–पत्र पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जा कर प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों की पालना में अप्रार्थीपक्ष को तलब किया गया। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर प्रारम्भिक आपति प्रस्तुत की गई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. **प्रार्थी/ बैंक** के प्रतिनिधि द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थी **बैंक** द्वारा अप्रार्थीगण/ऋणी को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी। ऋण सुविधा प्राप्त करने के बाद अप्रार्थीगण/ऋणी बकाया राशि चुकाने में विफल रहे है। इस पर अप्रार्थीगण/ऋणी को धारा 13(2) का नोटिस दिये जाने के बावजूद भी बकाया राशि प्रार्थी **कम्पनी** के यहां जमा नहीं करवाई गई है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

4. अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्राथमिक आपति के प्रार्थना–पत्र में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि बैंक द्वारा सरफेसी एक्ट की धारा 11 के प्रावधानों का उल्लंधन किया गया हैं। धारा 11 में स्पष्ट है कि विवाद सर्वप्रथम मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम के तहत दोनों पक्षकारों द्वारा मध्यस्था के अधीन रहते हुए पंचाट द्वारा जो भी निर्णय किया जावेगा, उसके लिए दोनों पक्ष बाध्य रहेंगे। प्रार्थीनी द्वारा बार–बार बैंक के चक्कर निकालने के बावजूद बैंक द्वारा स्टेट मैन्ट नही दिया जा रहा है। बैंक स्टेटमैन्ट के अभाव में प्रार्थीनी को यह मालूम नहीं हो सकता कि कितनी राशि जमा करवाई है व कितनी राशि बकाया है। बैंक द्वारा प्रार्थीया को 25,00,000/– रूपये स्वीकृत किये गये, किन्तु लोन 19,00,000/– रूपये ही दिया गया, जिसके विरूद्ध प्रार्थीया द्वारा निरन्तर ब्याज व लोन चुकाया जाता रहा है। फिर भी बैंक द्वारा 19,71,794.25 रूपये बकाया बताये गये है, जो सही नहीं है। अतः बैंक का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे।

5. हमारे द्वारा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। वकील अप्रार्थी द्वारा बैंक स्टेटमेंट की छायाप्रति दिनांक 24.10.18 प्रस्तुत की गई है। बैंक द्वारा धारा 14 सरफेसी एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत प्रकरण का विवरण पत्र इस स्टेटमेंट से मेल नहीं खाता हैं। इस आधार पर यह बात पुष्ट होती है कि प्रार्थिया को स्वीकृत की गई ऋण राशि के विरूद्ध वास्तविक रूप से प्रदत्त की गई राशि में भिन्नता हैं। प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ऋण राशि की सही गणना कर प्रस्तुत किया जाना प्रतीत नहीं होता है। अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना हम न्यायोचित नहीं पाते है।

6. उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी (बैंक) खारिज किया जाता है। प्रार्थी बैंक ऋण/बकाया की वास्तविक गणना के आधार पर पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने को स्वतंत्र है।

7. आदेश आज दिनांक 04.02.2019 को हमारे द्वारा लिखवाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला मजिस्ट्रेट एव
जिला कलक्टर, बीकानेर

Scanned by CamScanner